32

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर
संख्या:–220/XXXIV/2016–15/2011

प्रेषक,

दीपक कुमार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

वरिष्ठ वित्त अधिकारी,
इरला चैक,
उत्तराखण्ड शासन।

सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग **देहरादून, दिनांक 05 जून, 2016**

विषय–वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आई0टी0डी0ए0 के पत्र संख्या–50/ITDA-2/2016–17 दिनांक 19.04.2016 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत आई0टी0डी0ए0 के लिये चालू वित्तीय वर्ष 2016–2017 में अनुदान संख्या–23 के अन्तर्गत **आयोजनेत्तर पक्ष** में लेखाशीर्षक 3425–अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान 60–अन्य, 800–अन्य व्यय, 03– राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 35.67 लाख (रु0 पैंतीस लाख सड़सठ हजार रूपये मात्र) की धनराशि आवंटन आई0डी0. H1606232047 दिनांक 29 जून, 2016 के द्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि आहरित कर निदेशक, आई0टी0डी0ए0 को उपलब्ध करा दी जायेगी तथा निदेशक आई0टी0डी0ए0 द्वारा आहरित धनराशि का व्यय मासिक आधार पर वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप ही किया जायेगा।
2. धनराशि का व्यय करते समय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या– 490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31 मार्च, 2016 एवं 504/XXVII(1)/2016 दिनांक 04 अप्रैल, 2016 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. धनराशि व्यय करते समय उत्तराखण्ड में लागू उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली (संशोधन) नियमावली–2015 एवं समय–समय पर निर्गत शासनादेशों/नियमों के अधीन समस्त प्रकियाएं पूर्ण की जायेगी।
4. धनराशि व्यय करते समय वित्तीय नियमों, बजट मैनुअल के प्रावधानों तथा वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी मितव्ययता सम्बन्धी नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
5. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग/विचलन कदापि न किया जाय।
6. आंवटित धनराशि के विपरीत कार्य/मदवार वित्तीय व भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराते हुये जारी की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिनांक 31.03.2016 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उस स्थिति में अवशेष धनराशि का समर्पण शासन को किया जायेगा।
7. यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या–118/XXVII(2)/2016 दिनांक 20 मई, 2016 से प्राप्त उनकी सहमति के अन्तर्गत निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक– आवंटन आई0डी0

भवदीय,

(दीपक कुमार)
सचिव।

IT-Budget-2016-17-GO-S

संख्याः– २२०/ XXXIV/2016–15/2011 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त वर्णित संलग्नक की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, सहारनपुर रोड देहरादून
2. निदेशक, आई0टी0डी0ए0 देहरादून ।
3. केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, उत्तराखण्ड (साइबर ट्रैजरी) 23 लक्ष्मी रोड देहरादून
4. सचिवालय प्रशासन लेखा, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20162017

Secretary, IT (9017)

आवंटन पत्र संख्या - 220/XXXIV/2016-15/2011 | **अलोटमेंट आई डी - H1606232047**

अनुदान संख्या - 023 | **आवंटन पत्र दिनांक** -29-Jun-2016

DDO Name - Finance Officer IRLADehradun (4651) , Treasury - Cyber (1200)

1: **लेखा शीर्षक**
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान
800 - अन्य व्यय
00 - राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण
60 - अन्य
03 - राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढ़ीकरण

Non Plan Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	1167000	1167000
43 - वेतन भत्ते आदि के लिये सहाय	0	2400000	2400000
	0	**3567000**	**3567000**

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - 3567000

(एस०एस० टोलिया)
संयुक्त सचिव,
सूचना एवं सूचना प्रौद्योगिकी
उत्तराखण्ड शासन।